राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1396/2013/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत–तृतीय, जोधपुर ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नीरव एन्टरप्राइजेज,
20–महावीर टॉवर, गोल बिल्डिंग रोड,
सरदारपुरा, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अरिंजय जैन,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 66/आरवेट/जेयूसी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–तृतीय, जोधपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित संशोधन आदेश दिनांक 07.09.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 63,500/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009–10 की तृतीय तिमाही रिटर्न 139 दिन देरी से दिनांक 18.06.2010 को प्रस्तुत करने के कारण उन्होंने अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत शास्ति रूपये 63,500/– आरोपित करते हुये नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.01.2012 किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष उक्त नियमित कर निर्धारण आदेश में आरोपित शास्ति राशि रूपये 63,500/– में संशोधन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा संशोधन आदेश दिनांक 07.09.2012 पारित करते हुए आरोपित शास्ति को यथावत् रखा गया। सशक्त अधिकारी के उक्त संशोधन आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए विवादित शास्ति राशि रूपये 63,500/– को अपास्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है

लगातार.....2

कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश में संशोधन हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी ने संशोधन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्होनें अपने संशोधन आदेश दिनांक 07.09.2012 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया, एवं कर कम जमा मानते हुए प्रत्यर्थी को दिनांक 15.09.2011 के लाभ से वंचित करते हुए उस पर शास्ति का आरोपण किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन व अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने आलोच्य वर्ष 2009–10 की तृतीय तिमाही का वैट–10 ई–रिटर्न दिनांक 18.06.2010 को प्रस्तुत कर दिया था, परन्तु उनके द्वारा मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.01.2012 किये जाने समय तक आवश्यक घोषणा पत्र ई–I फार्म प्रस्तुत नहीं किये गये, जो कि अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के अनुसार दिनांक 30.09.2011 तक जमा करवाने आवश्यक थे। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना निम्न प्रकार है :–

Notification No. F.12(92)FD/TAX/2011-46 **Dated September 15, 2011**

In exercise of the powers conferred by section 51 A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), and in supersession of this Department's notification No. F.12(25)FD/Tax/11-169 dated 30.03.2011, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the year 2009-2010, by the dealers who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-2010 up to 30-09-2011.

7. इस प्रकार उक्त अधिसूचना के आलोक में घोषणा पत्र फार्म के अप्रस्तुती पर आरोपित अन्तर कर व ब्याज की राशि कर निर्धारण आदेश पारित होने के पश्चात राजकोष में जमा करायी गई। इस तरह घोषणा पत्रों एवं सर्टिफिकेट की दिनांक 30.09.2011 तक अप्रस्तुति होने के कारण व्यवहारी का ड्यू टैक्स (Due tax) 30.09.2011 को बकाया रहा। अतः अधिनियम की धारा 51ए के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के अन्तर्गत शास्ति एवं ब्याज के वेवर का हकदार नहीं था। अतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अस्वीकार किया जाता है। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी आदेश अपास्त किया जाता है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश संशोधन कर, कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.09.2012 को बहाल किया जाता है।

8. परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

आदेश प्रसारित किया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य